न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 22/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/34

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), जिला रसद कार्यालय, डीडवाना–कुचमान।		श्री ललित जैन पुत्र श्री सुभाष चन्द जैन, मालियों का बास, लाडनूं, विकास जैन का घर लाडनूं

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्।

उपस्थितः–
1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक श्री ओमेन्द्र कुमार।
2. अप्रार्थी की तरफ से वकील श्री जयवीर सिंह।

–:आदेश:– **दिनांक : 17.03.2025**

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी डीडवाना द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में निम्न प्रकार हैः–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1) खावि/एलपीजी/2024 दिनांक 10.09.2024 की पालना में घरेलू गैस के अवैध भण्डारण/व्यापार/दुरूपयोग के विरूद्ध अभियान के तहत दिनांक 19.02.2025 को श्री शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक, मकराना, श्री ओमेन्द्र कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक, कुचामन, सुश्री मनीषा गुर्जर, परबतसर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मैसर्स दिल्ली जायका, लाडनूं पर आकस्मिक जाँच हेतु पहुंचे। मौके पर श्री ललित जैन पुत्र श्री सुभाष चन्द जैन, मालियों का बास, लाडनूं पर आकस्मिक जांच हेतु पहूंचे। मौके पर श्री ललित जैन पुत्र सुभाष जैन निवासी लाडनूं उपसिथत मिलें, जिन्होनें स्वयं को प्रबन्धक होना बताया। श्री ललित जैन पुत्र सुभाष जैन द्वारा विकास जैन के घर का निरीक्षण करवाया तथा घरेलू गैस का उपयोग शादी पार्टियों में खाना पकाने के कार्य में किया जाना बताया गया। घर की तलाशी लेने पर कुल 08 घरेलू गैस के सिलेण्डर मौके पर पाये गये। 03 घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टी [illegible] पाईप लाईन के जरिये जुड़े पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डर, जो [illegible] ललित जैन से घरेलू गैस के भण्डारण एवं व्यावसायिक [illegible] किसी प्रकार के [illegible] व अनुज्ञापत्र के बारे पुछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के [illegible] व व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.21 12:33:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

नहीं होना स्वीकार किया। श्री ललित जैन द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित/दुरूपयोग किये गये 08 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किये गये। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	भरे सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस (कॉलम 4–5)
1	IOCL	975958–S	30	15.8	14.2 किग्रा
2	IOCL	802445–T	29.6	15.4	14.2 किग्रा
3	IOCL	874748–T	29.8	15.6	14.2 किग्रा
4	IOCL	854991–P	20.4	16.4	4 किग्रा
5	IOCL	233171–T	17.2	17.2	0
6	IOCL	2207G29025112	5.76	5.76	0
7	IOCL	2212G29013065	5.76	5.76	0
8	IOCL	2212G29008011	5.76	5.76	0

उपरोक्त 08 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस 46.6 किग्रा मौके पर जब्त सरकार कर प्रबन्धक श्री अदरिश खान पुत्र श्री मुराद खान प्रतिनिधि मैसर्स गैस सर्विस लाडनूं के प्रतिनिधि की सुपुर्दगी में दिय गये।

इस प्रकार श्री ललित जैन का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, – 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 08 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस 46.6 किग्रा को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (confiscaion) के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से वकील श्री जयवीर सिंह ने वकालतनामा व जवाब पेश किया।

वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संयुक्त परिवार में रहता है एवं उक्त पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उक्त सिलेण्डर विधि पूर्वक नियमों व निर्देश के अनुसार गैस ऐजेन्सी द्वारा प्राप्त किये गये है। जिसके संबंध में अप्रार्थी के पास संयुक्त परिवार की 5 गैस डायरी घरेलु गैस कनेक्शन की उपलब्ध है। जिनके माध्यम से उक्त गैस सिलेण्डर लिये गये थे। उक्त गैस डायरियां निम्न प्रकार है:–

1. विकास जैन के नाम ग्राहक नम्बर 25305574
2. श्रीमती वीणा के नाम ग्राहक नम्बर L 6088
3. श्रीमती पाना देवी के नाम ग्राहक नम्बर L 6088
4. श्रीमती ललिता कुमार के नाम ग्राहक नम्बर 7241623918
5. विकास कुमार जैन के नाम ग्राहक नम्बर 28216139

उक्त डायरियों के अनुसार उक्त सिलेण्डर घरेलु उपयोग हेतु लिये गये थे एवं उक्त सिलेण्डर का उपयोग घरेलु उपयोग में ही किया जा रहा था। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त जब्त सुदा गैस सिलेण्डरों का सुपुर्द करने तथा जुर्माना राशि माफ करने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.21 12:33:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

बहस सुनी गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि श्री ललित जैन द्वारा घरेलु गैस का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इनके पास घरेलु गैस के भण्डारण व व्यापारिक उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र व आवश्यक दस्तावेज नहीं पाये गये। इस पर मौके पर पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर कुल 08 को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया जाकर कब्जे में लिये गये। जब्त सुदा 08 घरेलु गैस सिलेण्डर को मैसर्स गैस सर्विस लाडनूं के प्रतिनिधि श्री अदरिश खान को निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 08 घरेलु गैस सिलेण्डर पाए गए। जांच के समय श्री ललित जैन के पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यापारिक उपयोग में किया जा रहा था। दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किए जाने पर घरेलु गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए जप्त सरकार लिये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में 08 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का समपहरण (Confisacation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 08 घेरलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निरतारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निरस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक **17.03.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.21 12:33:57 IST
Reason: SelfAttested